उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

सरफेसी केस नं0–47 / 2019

प्राधिकृत अधिकारी, रामचन्द्र साहु (चीफ मैनेजर), इण्डियन ओवरसीज बैंक, कोडरमा, बनाम राजू गोप एवं 01 अन्य।

आदेश

प्राधिकृत अधिकारी, रामचन्द्र साहु (चीफ मैनेजर), इण्डियन ओवरसीज बैंक, कोडरमा द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 की धारा–14 के अन्तर्गत राजू गोप, पिता– श्री नारायण गोप, पता– मकान न0 22, मुहल्ला–ग्वालटोली, पोस्ट–हजारीबाग, थाना–सदर, जिला– हजारीबाग एवं राजेश (कुमार) सिंह, पिता– श्री नारायण गोप, पता– बुजुर्ग जमीना, नजदीक शिव मंदिर, थाना–पतरातु, बरकाकाना, जिला–रामगढ़ के विरूद्ध सरफेसी वाद दायर किया गया है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक, कोडरमा शाखा से प्रतिवादी मेसर्स राकेश ऑटो मोबाईल, प्रो0– राकेश कुमार, पिता– हरनंदन प्रसाद, पता– राँची–पटना बाईपास रोड, झुमरीतिलैया, जिला–कोडरमा द्वारा दिनांक–02.07.2013 को राशि 55,00,000 / – (पचपन लाख) रुपये ऋण एवं दिनांक– 30.10.2013 को 13,50,000 / –(तेरह लाख पचास हजार) रुपये Adhoc Limit के तहत कर्ज व्यापार हेतु लिया। ऋण वापसी हेतु बैंक के द्वारा कई बार नोटिस भेजा गया, परन्तु कर्जदार द्वारा ऋण भुगतान हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

ऋणी राकेश कुमार द्वारा लोन के लिए बैंक में राजू गोप तथा राजेश (कुमार) सिंह(जमानतकर्ता) द्वारा 7.67 डी0 भूमि एवं 500 वर्ग फीट में स्थित एक कच्चा निर्माणाधीन भवन जो कि संयुक्त रूप से राजू गोप तथा राजेश (कुमार) सिंह के नाम से है, ग्राम– गुमो, राँची–पटना रोड, सतपुलिया के पीछे, झुमरीतिलैया, जिला–कोडरमा थाना सं0 12, वार्ड न0 13, (पुराना), 198 (नया), परगना– गुमो, झुमरीतिलैया निगम के अधीन खाता संख्या–570 एवं 571, प्लॉट संख्या–680 एवं 681, चौहद्दी– उ0 प्लॉट संख्या–681 का आंशिक भाग, द0 प्लॉट संख्या–680 का आंशिक भाग, पू0 राँची–पटना रोड, प0 प्लॉट संख्या–679 से संबंधित केवाला बंधक के रूप में रखी गई है। उक्त भूमि को बैंक द्वारा E-auction कर श्रीमति आशा सिंह को निबंधन केवाला 3834 दिनांक 01.09.2018 को बेच दिया गया।

बैंक द्वारा उक्त भूमि का Physical Possession लेने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी, रामचन्द्र साहु (चीफ मैनेजर), इण्डियन ओवरसीज बैंक, कोडरमा द्वारा Affidavit, धारा–13(2) सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत नोटिस, धारा–13(4) के अन्तर्गत Possession नोटिस, Copy of Title deed of secured asset, Copy of the intend letter of mortgage to Create Mortgage की छायाप्रति संलग्न की गई है।

आवेदन का अवलोकन कर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर वाद की कार्रवाई

उपायुक्त का न्यायालय सत्यमेव जयते

प्रारम्भ किया गया। दिनांक 13.02.2020 को बहस के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा उपस्थित होकर कागजात दाखिल किया गया जिसमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि चुंकि यह मामला W.P.C No. 4059/2019 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में लम्बित है, अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय का फैसला आने तक अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में चल रहे वाद की कार्रवाई को स्थगित रखा जाए। दिनांक 18.02.2020 को उक्त मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय का आदेश पारित हुआ जो निम्नवत् हैः–

"Considering the statement made in the present interlocurory application, the permission sought by the petitioner to move before the appropriate forum by preferring a petition under Section 17(1) of the SARFAESI Act, 2002, is accorded.

The writ petition is dismissed as withdrawn with aforesaid liberty.

I.A. No. 1771 of 2020 stands disposed of accordingly."

दिनांक 13.02.2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा बहस हेतु दिनांक 20.02.2020 को अन्तिम अवसर दिया गया परन्तु उनके द्वारा कोई अभिरूचि नहीं ली गई।

अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना तथा विपक्षी के द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के निदेश के बावजूद भी बहस नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस वाद में कुछ नहीं कहना है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक, कोडरमा शाखा से लिये गये ऋण एवं उधार को चुकता करने हेतु उनके द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गई बन्धक सम्पति को कब्जे (Possession) में लेने और इसे Secured Creditor इण्डियन ओवरसीज बैंक, कोडरमा शाखा को अग्रसारित करने के पर्याप्त साक्ष्य एवं कारण मौजूद है।

अतः SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 धारा 14 (2) के अन्तर्गत इसको कब्जा में लेने और इसे Secured Creditor को अग्रसारित करने का आदेश देता हूँ।

इण्डियन ओवरसीज बैंक, कोडरमा शाखा के पक्ष में बंधक रखी सम्पति को अपने कब्जा में लेकर ऋण एवं उधार के चुकता करने हेतु SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 धारा 14 (1) एवं 14 (2) के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई करें।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

9/2/21

उपायुक्त,कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय सत्यमेव जयते कोडरमा

9/2/21

उपायुक्त
कोडरमा।